# न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री रेखा गुर्जर (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 06 / 2020

दायर दिनांक :– 27.01.2020

निर्णय दिनांक :– 22.03.2022

**उनवान**

01. राजवीर सिंह पुत्र रामसिंह यादव जाति अहीर निवासी श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

—–वादीगण

**बनाम**

01. छोटू पुत्र तुलसा जाति मेघवाल निवासी श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
02. श्रीमान तहसीलदार बानसूर बहैसियत लैण्ड होलडर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

—–प्रतिवादी

03. किशनसिंह पुत्र हजारीसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
04. मातुसिंह पुत्र हजारीसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
05. रामचन्द्रसिंह पुत्र हजारीसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
06. प्रतापसिंह पुत्र हजारीसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
07. बालूसिंह पुत्र हजारीसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

—–तरतीवी प्रतिवादी

**दावा दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड**

**अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**उपस्थित अधिवक्तागणः–**

01. वादीगणः– श्री अनिल कुमार यादव एड0
02. प्रतिवादीगणः– प्रतिवादी संख्या 01 की एक पक्षीय व पैरोकार सरकार

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

## निर्णय

आज यह पत्रावली मेरे समक्ष वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1355 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 1356 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 1357 रकबा 4.2900 हैक्टेयर वाके मौजा श्यामपुरा तहसील बानसूर की आराजी वाद पत्र में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। हाल विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1046 रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा से दौराने बन्दोबस्त सम्वत 2060 बने है। ताईद में मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2060 पेश है। विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा वादी की खरीद शुदा आराजी है जिस पर वादी से पूर्व दानसिंह व उसके वारिसान खातेदार काश्तकार थे। उक्त आराजी को वादी ने जर्ये बैयनामा खरीद की थी। तथा दिन खरीद से ही वादी विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। विवादित आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा नहीं रहा और ना ही विवादित आराजी से प्रतिवादी नम्बर 1 का कोई सम्बन्ध सरोकार रहा। वादी खरीद समय से विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। विवादित आराजी से प्रतिवादी संख्या 01 का कभी कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं रहा है। राजस्व कर्मचारियों ने दौराने जमाबन्दी सम्वत 2031 बनाते समय खातेदारी के कॉलम में वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के साथ–साथ खिलाफ कब्जा मौका, खिलाफ कानून विवादित आराजी के कॉलम खातेदारी में "(रबी 2031 नारायण प्रभाती छोटू पिसरान तुलसा सा0 देह रकबा 1046 – 10.00 बाकी बदस्तूर)" दर्ज कर दिया जो पूर्णत गलत है। राजस्व कर्मचारियो को केवल खातेदार का नाम ही दर्ज करना चाहिये था। लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने अपने अधिकारो से बाहर कार्य करते हुये खिलाफ कानून व खिलाफ कब्जा मौका प्रतिवादी संख्या 01 व उसके भाईयो को विवादित आराजी में 10 बीघा पर रबी 2031 में काश्तकार दिखाया है। जो वादी के खातेदारी अधिकारो के विपरीत है। जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो पर कुठाराघात हो रहा है। सम्वत 2031 से पूर्व या बाद में भी प्रतिवादी नम्बर 01 का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं रहा है। ताईद में जमाबन्दी सम्वत 2021 व 2029 पेश है। वादी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के सिलसिले मे 16/01/2020 को पटवारी हल्का से मिला तो उसे उक्त गलत अंकन की जानकारी हुई। जिस पर वादी ने प्रतिवादी नम्बर 01 को विवादित आराजी में आ रहे बकाश्त के रूप में उसके नाम को हटवाने के लिये कहा तो प्रतिवादी नम्बर 01 पहले तो हां भरता रहा लेकिन अब दिनांक 24.01.2020 को साफ इन्कार कर दिया और प्रतिवादी नम्बर 02 ने न्यायालय श्रीमान के आदेश पर ही दुरूस्ती करने को कहा। दावा हाजा के लिये विनायदावी व विनाय मुखासमत दिनांक 16.01.2020 व 24.01.2020 को पैदा हुआ है जब प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 ने उक्त गलत अंकन को दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया। तरतीवी प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 उक्त आराजी में वादी के साथ सह खातेदार है और उनके हक हकूक निहित है लेकिन वाद पत्र पेश करते समय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो जाने के कारण इनको तरतीवी प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

संख्या 03 लगायत 07 बनाया गया है। वैसे उनके विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। उपरोक्त विवादित आराजी के कॉलम खातेदारी में दर्ज "(रबी 2031 नारायण प्रभाती छोटू पिसरान तुलसा सा0 देह रकबा 1046 – 10.00 बाकी बदस्तूर)" को कलमजन किया जावे तथा शेष अंकन यथावत रखा जावे। दावा अन्दर मियाद है।

वाद पत्र दर्ज पंजिका किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की और से कोई भी उपस्थित नहीं आया। प्रतिवादी संख्या 02 ने वाद पत्र का जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी स्वयं अपने वाद को सिद्‌ध करे तथा न्यायालय जो भी आदेश प्रदान करें तो हमें कोई एतराज नहीं है जिसकी पालना की जावेगी। तरतीवी प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 के द्वारा इकबाल जबाब दावा पेश कर निवेदन किया की वादी का वाद स्वीकार है। और वादी का वाद डिक्री किया जाता है तो हमे कोई एतराज नहीं है।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रर्दश 01 नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 358, प्रदर्श 02 नकल बैयनामा असल संख्या 502 दिनांक 09.12.1991, प्रदर्श 03 नकल इकरारनामा पेश किये है तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.डब्ल्यु 01 राजवीर यादव, पी.डब्ल्यु 02 पूर्णचन्द यादव का शपथ पत्र पेश किये।

बहस वकुलाय सुनी गई।

हमने पत्रावली का व वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात तथा शपथ पत्रों का गहनता से अवलोकन एंव अध्ययन किया। वादी ने अपने वाद के समर्थन में पेश किये दस्तावेजात व मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्रों से यह साबित होता है कि वादी के नाम के आगे "(रबी 2031 नारायण प्रभाती छोटू पिसरान तुलसा सा0 देह रकबा 1046 – 10.00 बाकी बदस्तूर)" अंकित है। वादी उपरोक्त आराजी के जरिये बैयनामा खरीद सुद्वा मालिक है। जबकि बकाश्त का अंकन किस हैसियत से किया हुआ है उसका कोई आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अतः उक्त विवेचनानुसार वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

# आदेश

अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1355 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 1356 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 1357 रकबा 4.2900 हैक्टेयर वाके मौजा श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान में दर्ज "(रबी 2031 नारायण प्रभाती छोटू पिसरान तुलसा सा0 देह रकबा 1046 – 10.00 बाकी बदस्तूर)" का अंकन कलमजन किया जावें। शेष इन्द्राजात यथावत रहें। आदेश की पालना में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)
बानसूर अलवर

यह निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

# न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री रेखा गुर्जर (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 06/2020

दायर दिनांक :– 27.01.2020

निर्णय दिनांक :– 22.03.2022

**उनवान**

01. राजवीर सिंह पुत्र रामसिंह यादव जाति अहीर निवासी श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

—–वादीगण

**बनाम**

01. छोटू पुत्र तुलसा जाति मेघवाल निवासी श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
02. श्रीमान तहसीलदार बानसूर बहैसियत लैण्ड होलडर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

—–प्रतिवादी

03. किशनसिंह पुत्र हजारीसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
04. मातुसिंह पुत्र हजारीसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
05. रामचन्द्रसिंह पुत्र हजारीसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
06. प्रतापसिंह पुत्र हजारीसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
07. बालूसिंह पुत्र हजारीसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

—–तरतीबी प्रतिवादी

**दावा दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड**

**अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**उपस्थित अधिवक्तागण:–**

01. वादीगण:– श्री अनिल कुमार यादव एड0
02. प्रतिवादीगण:– प्रतिवादी संख्या 01 की एक पक्षीय व पैरोकार सरकार

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

# पर्चा डिक्री

अतः वादीगणों का वाद आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1355 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 1356 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 1357 रकबा 4.2900 हैक्टेयर वाके मौजा श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान में दर्ज "(रबी 2031 नारायण प्रभाती छोटू पिसरान तुलसा सा0 देह रकबा 1046 – 10.00 बाकी बदस्तूर)" का अंकन कलमजन किया जावें। शेष इन्द्राजात यथावत रहें।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)
बानसूर अलवर

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)
बानसूर अलवर